क्रम-संख्या—65 (ख—1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0—91/2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 मार्च, 2019

फाल्गुन 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अनुभाग

संख्या 2/2019/157/61—2019

लखनऊ, 15 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—23

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2019

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2019' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा में समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य निजी सचिव (श्रेणी-एक) के पदों के संबंध में निर्वाचन विभाग में सरकार के सचिव और निजी सचिव (श्रेणी-दो) के संबंध में राज्यपाल से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ.) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ज) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा से है;

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संदर्भ

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैः-

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	निजी सचिव (श्रेणी-1)	1		1
2	निजी सचिव (श्रेणी-2)		1	1

परन्तु यह कि-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(1) निजी सचिव (श्रेणी-1)- मौलिक रूप से नियुक्त अपर निजी सचिवों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) निजी सचिव (श्रेणी-2)- मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों (श्रेणी-1) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6—शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारण

7—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

8—(1) निजी सचिव (श्रेणी-1) और निजी सचिव (श्रेणी-2) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदंड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदंड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पाँच - नियुक्ति और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नि के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी कि तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्ले ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो।

ज्येष्ठता

10—सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज् समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 19 अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः - वेतन आदि

वेतनमान

11—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेत ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय का वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
1. निजी सचिव (श्रेणी-1)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू0 56,100-1,77,500
2. निजी सचिव (श्रेणी-2)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रू0 67,700-2,08,700

भाग सात - अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

12—किसी पद पर या सेवा के लिए लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्य ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

13—ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष द्वारा आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों से शिथिलता

14—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मा असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधी हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आ समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

सेव

व्यावृत्ति

15—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रि पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आ अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्ति की अन्य विशेष श्रेणि अभ्यर्थियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू,

प्रमुख सचिव, निर्वाचन

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notifications no. 2/2019/157/ 61-2019, dated March 15, 2019:

No. 2/2019/157/ 61-2019,

Dated Lucknow, March 15, 2019

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and order on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Office of the Chief Electoral Office Uttar Pradesh Private Secretary Service.

THE UTTAR PRADESH CHIEF ELECTORAL OFFICE PRIVATE SECRETARIES SERVICE RULES, 2019

Part I- General

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called 'The Uttar Pradesh Chief Electoral Office Private Secretaries Service Rules, 2019'.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttar Pradesh Chief Electoral Office Private Secretaries Service is a service comprising Group 'A' and Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 1994.

(b) "Appointing authority" means in respect of the posts of Private Secretary (Grade I) the Secretary to the Government in Election Department and in respect of Private Secretary (Grade II) the Governor.

(c) "Citizen of India" means a person who is or deemed to be a citizen of India under part-II of the constitution.

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) "Other Backward Classes of Citizen" means the backward classes of citizen specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time.

(i) "Service" means the Uttar Pradesh Chief Electoral Office Private Secretary Service;

(j) "Substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules, and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II-Cadre

Cadre of service

4. (1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as follows :

SI. no.	Name of post	Number of Posts		
		Permanent	Temporary	Total
	Private Secretary (Grade-1)	1		1
	Private Secretary (Grade-2)		1	1

Provided that–

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant posts without thereby entitling any person to compensation; or

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III- Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Private Secretary (Grade-1)- By promotion from amongst substantively appointed Additional Private Secretaries who have completed ten years services as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Private Secretary (Grade-2)- By promotion from amongst substantively appointed Private Secretaries (Grade-I) who have completed five years services as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Physically Handicapped categories shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and *Ex.* Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV- Procedure of recruitment

Determination of Vacancies

7. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment.

Procedure for recuitment by promotion

8. (1) Recruitment by promotion to the posts of Private Secretary (Grade-1) and Private Secretary (Grade-2) shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by promotions Rules, 1994 as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh constitution of Department Promotion Committee (For posts outside the purview of the Service Commission) Rule 1992 as amended from time to time.

Note: Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to appointing authority.

PART V-Appointment and Seniority

Appointment

9. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also issued mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Seniority

10. The seniority of persons substantively appointed in any category of post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

PART VI- Pay etc.

Scales of Pay

11. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of the pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Name of the post	Scale of Pay
1. Private Secretary (Grade-1)	Pay Matrix level -10 Rs. 56,100-1,77,500
2. Private Secretary (Grade-2)	Pay Matrix level -11 Rs. 67,700-2,08,700

PART VII- Other Provisions

Canvassing

12. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

13. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable Generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

14. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of a person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

15. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Principal Secretary, Election.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 605 राजपत्र–2019–(1580)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 39 सा0 निर्वाचन–2019–(1581)–1000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।